R 1471-II/15

निगरानी 2015

1. बंशीलाल पिता देवीसिंह आयु 28वर्ष

2. माखनसिंह पिता देवीसिंह आयु 25वर्ष

सर्व निवासी रोजड़ी तह. नलखेड़ा

..............आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार महोदय नलखेड़ा

......................अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1471–दो/2015 जिला आगर

बंशीलाल आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–6–2015	आवेदक अभिभाषक श्री अखलाक कुरैशी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक को ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार खनियाधाना के प्र0क्र0 155/13–14/बी–12 में पारित आदेश दिनांक 9–4–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक ने निगरानी में दिनांक 20–4–2015 को राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार को भेजे गये प्रतिवेदन को चुनौती दी है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने तहसीलदार के आदेश के पालन में सर्वे कमांक 217/1 का सीमांकन कर रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रेषित की है। यदि आवेदक राजस्व निरीक्षक की प्रतिवेदन से किसी प्रकार परिवेदित हैं तो तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस स्तर पर इस निगरानी को ग्राह्य करने का कोई आधार न होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	